कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024 **दिनांक 18/08/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 17.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 362/2024 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 12.08.2024 को रजदेपुर (तेलपुरवा) थाना कोतवाली क्षेत्र में अभि0 समीर हजाम पुत्र लल्लन हजाम निवासी मुहल्ला नवाबगंज थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा वादी की नाबालिग लडकी काल्पनिक नाम रानी कुमारी पुत्री श्याम कुमार निवासी रजदेपुर देहाती (टेढवा)थाना कोतवाली गाजीपुर को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 362/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम समीर हजाम उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। अभि0 समीर हजाम पुत्र लल्लन हजाम निवासी मुहल्ला नवाबगंज थाना कोतवाली गाजीपुर को दिनांक 16.08.2024 को कासिमाबाद चौराहा से समय 13.10 बजे गिरफ्तार कर उक्त अभियोग मे धारा 87 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता

समीर हजाम पुत्र लल्लन हजाम निवासी मुहल्ला नवाबगंज थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र 21 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0 अ0 सं0 362/24 धारा 137(2),87 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

02. थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149, 304, 323, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय, उ0नि0 राजकुमार शुक्ल व का0 धर्मेन्द्र कुमार, द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149, 304, 323, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित घटना जिसमे राजकिशोर बिन्द की मृत्यु हो गयी है। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल बिन्द पुत्र शोभित बिन्द उर्फ राधेश्याम बिन्द उम्र करीब 29 वर्ष निवासी परमेठ बिन्द का पुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को दिनांक

16.08.2024 को यूनियन बैंक के पास से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>विवरण पूछताछ ---</u> पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि साहब हम लोगो से दिनांक 13.05.2024 को शाम लगभग 8.30 बजे मोतीनगर चट्टी (भटौली) पर राजकिशोर बिन्द व अन्तु बिन्द तथा उनके घरवालो से दुकान के सामान खरिदने के पैसे लेनदेन व बोली ठिठोली की बात को लेकर झगडा हुआ। जिसमे हम लोगो द्वारा उन लोगो को लाठी डण्डा व कुल्हाडी से मारा गया तो वे लोग घायल हो गये। हमलोग वहा से भाग गये। बाद मे हम लोगो को मालूम हुआ कि राजकिशोर बिन्द की मृत्यु हो गयी है। इसी डर से हम लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे थे।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पताः-</u>

01.राहुल बिन्द पुत्र शोभित बिन्द उर्फ राधेश्याम बिन्द उम्र करीब 29 वर्ष निवासी परमेठ बिन्द का पुरवा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

<u>अभियुक्त राहुल बिन्द का आपराधिक इतिहासः-</u>

01.मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149,304,323,325,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

02.मु0अ0सं0 294/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

<u>03. जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा अंतरप्रांतीय गैंग नं0 191 के माफिया मुख्तार अंसारी के प्रमुख सहयोगी रहे व उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर के अभियुक्त रेयाज अंसारी (वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष),व उनकी पत्नी निकहत परवीन के द्वारा वर्ष 2006 से आपराधिक कृत्यो से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश पर कुर्क किया गया।</u>

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अंतरप्रान्तीय गैंग नं0 191 माफिया मुख्तार अंसारी का प्रमुख सहयोगी रहे व मु0अ0स0 68/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर के गैंग लीडर/अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी पुत्र अब्दुल मन्नान अंसारी निवासी वार्ड नं0 11 दक्खिन टोला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर व सदस्य निकहत परवीन पत्नी रेयाज अहमद वार्ड नं0 11 दक्खिन टोला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, द्वारा वर्ष 2006 से उद्दापन/रंगदारी धोखाधडी जालसाजी, आपराधिक षडयन्त्र एवं आपराधिक अतिचार आदि गम्भीर प्रवृत्ति के आपराधिक कृत्य किये जाते है। इसके द्वारा संगठित आपराधिक क्रियाकलाप स्वयं व अपने गैंग/परिवार के सदस्यो व सहयोगियों को आर्थिक व भौतिक लाभ पहुचाने के उद्देश्य के किया गया तथा सम्पत्तियां अर्जित की गयी। आपराधिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति को जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर वाद संख्या 1223/2024 कम्प्यूटरी वाद संख्या D202414290001223 सरकार बनाम रेयाज अहमद अंसारी व अन्य के आदेश दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 17.08.2024 को अचल सम्पत्तियो को कुर्क कराया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है। .....

अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी द्वारा अपनी पत्नी निकहत परवीन के नाम से दिनांक 13.02.2016 को वार्ड नं0 फैजुल्लागंज मोहल्ला रहीमनगर डिडौली जनपद लखनऊ में खसरा संख्या 198 का मिनजुमला प्लाट नं0 102ए में 1675 वर्ग फीट यानी 155.669 वर्ग मीटर जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 50,00000/- पचास लाख रुपये है।

रेयाज अहमद अंसारी पुत्र अब्दुल मन्नान अंसारी निवासी वार्ड नं0 11 दक्खिन टोला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास ---

1 मु०अ०स०-270/13 धारा 332,353,506, भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

2. मु0अ0सं0-866/14 धारा 323.506.452.354 क भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

3 मु0अ0सं0-88/16 धारा 452.506 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

4. मु0अ0सं0-283/23 धारा 420,467,468,471.120 बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

5.मु0अ0स0-322/23 धारा 386,447.506.120 बी, भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

6. मु0अ0स0-06/24 धारा 347.448,506,379, भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

7. मु0अ0स0 68/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

निकहत परवीन पनी रेयाज अहमद अंसारी सा० वार्ड नं. 11 दक्खिन टोला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास ---

1.मु0अ0स0 -283/2023 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

2-मु0अ0स0-322/2023 धारा-386,447,506, 120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

3. मु0अ0स0 68/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर